भाग–III

हरियाणा सरकार

विकास तथा पंचायत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 25 जुलाई, 2018

संख्या का०आ०46/पं०अ०18/1961/धा०15/2018.— पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 (1961 का पंजाब अधिनियम 18), की धारा 15 की उप–धारा (2) के साथ पठित उप–धारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) नियम, 1964, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. ये नियम पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) हरियाणा संशोधन नियम, 2018, कहे जा सकते हैं ।

2. पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) नियम, 1964 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 3 में, उप–नियम (2) में, खण्ड (i) के बाद, निम्न खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(i–क) गोशाला;"।

3. उक्त नियमों में, नियम 6 में, उप–नियम (2) के बाद, निम्नलिखित उप–नियम रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(2क) ग्राम पंचायत, निदेशक पंचायत की पूर्व अनुमति से, चरान्द के लिए चिह्नित और जोत के अधीन शामलात देह में अपनी भूमि निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन, अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए चारा खेती के लिए खुली नीलामी में पंजीकृत गोशालाओं को पट्टे पर दे सकती है;–

(i) एक गोशाला को प्रत्येक एक हजार पशुओं के लिए केवल 10 एकड़ तक भूमि दी जा सकती है। पशुओं की कम या ज्यादा संख्या होने की दशा में, पशुओं की संख्या के अनुपात में भूमि दी जाएगी;

(ii) यदि एक ही बोलीदाता है, तो उसी गांव की गोशाला के लिए पट्टा धन राशि 5100/–रूपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष और पड़ोसी गांवों की गोशाला के लिए 7100/–रूपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष से कम नहीं होगी। उसी गांव की गोशालाओं तथा पड़ोसी गांव की गोशालाओं के लिए नीलामी की कार्यवाहियां अलग से संचालित की जाएगी।

(iii) वार्षिक पट्टा धन राशि बोली स्थल पर ही भुगतान की जाएगी और पट्टे के द्वितीय वर्ष के लिए, यदि कोई हो, वार्षिक पट्टा धन राशि अग्रिम में भुगतान की जाएगी।"।

सुधीर राजपाल,
प्रधान सचिव हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT

Notification

The 25th July, 2018

No. S.O.46/P.A.18/1961/S.15/2018.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 15 of the Punjab Village Common Lands (Regulation) Act, 1961 (Punjab Act 18 of 1961), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Punjab Village Common Lands (Regulation) Rules, 1964, in their application to the State of Haryana, namely:-

1. These rules may be called the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Rules, 2018.

2. In the Punjab Village Common Lands (Regulation) Rules, 1964 (hereinafter called the said rules), in rule 3, in sub-rule (2), after clause (i), the following clause shall be inserted, namely:-

"(i-a) Gaushala;".

3. In the said rules, in rule 6, after sub rule (2), the following sub rule shall be inserted, namely:-

"(2A). Gram Panchayat, with prior approval of Director Panchayat, may lease out its land in shamilat deh earmarked for charand and is under plough to the registered gaushalas in open auction for cultivation of fodder for a maximum period of two years, subject to the following conditions:-

(i) A gaushala can only be given upto 10 acres of land each for every 1000 animals. In case of lesser or higher number of animals, the land shall be given in proportion of the strength of animals.

(ii) In case there is a single bidder, the lease money shall not be less than Rs. 5100/- per acre per year for the gaushala of the same village and Rs. 7100/- per acre per year for the gaushala of the neighbouring villages. The auction proceedings shall be conducted separately for the gaushalas to the same village and for the gaushalas of the neighbouring villages.

(iii) The annual lease money shall be paid on the bidding spot and for the second year of lease, if any, the annual lease money shall be paid in advance.".

SUDHIR RAJPAL,
Principal Secretary to Government Haryana,
Development and Panchayats Department.

56420—L.R.—H.G.P., Chd.